

## छत्तीसगढ़ शासन



छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी संस्थाओं में संचालित  
एम.ई./एम.टेक., एम.फार्मेसी, एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में  
प्रवेश हेतु नियम/प्रक्रिया सत्र  
**2015-16**

---

तकनीकी शिक्षा संचालनालय

तृतीय खण्ड, तृतीय/चतुर्थ मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2221376, फ़ैक्स 0771-2253620

website-www.cgdterapur.ac.in

[www.mkcl.biz/cgmemtech2015](http://www.mkcl.biz/cgmemtech2015) (for ME/M.Tech Counselling)

[www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015](http://www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015) (for M.Pharmacy Counselling)

[www.mkcl.biz/cgmba2015](http://www.mkcl.biz/cgmba2015) (for MBA Counselling)

## महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय होती है। अतः काउंसिलिंग के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें, ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो :-

1. निवास प्रमाण पत्र
2. स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
3. दसवीं की अंकसूची (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)
4. स्नातक/अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची
5. निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र -
  - (1) संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं
  - (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी हो ।(उपरोक्त दोनों अधिकारियों से जारी निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र - संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन प्रमाण पत्र आवश्यक है) ।

काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट [www.cgdterapur.ac.in](http://www.cgdterapur.ac.in) एवं [www.mkcl.biz/cgmtech2015](http://www.mkcl.biz/cgmtech2015) (for ME/M.Tech), [www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015](http://www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015) (for M.Pharmacy), [www.mkcl.biz/cgmmba2015](http://www.mkcl.biz/cgmmba2015) (for MBA) का अवलोकन करते रहें ।

- काउंसिलिंग सामान्यतया जुलाई माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है । कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें, **इसके लिये पृथक से कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा ।**
- इस पुस्तिका का अध्ययन ठीक से अवश्य कर लें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि आप प्रवेश हेतु पात्र हैं । केवल प्रवेश परीक्षा में बैठने मात्र से प्रवेश की पात्रता नहीं बन जाती। काउंसिलिंग से पूर्व ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया, जो इस बुकलेट में दी गई है, का भी ठीक से अध्ययन कर लें। इससे आपको संस्था के चयन में सहायता मिलेगी एवं कम्प्यूटर/इंटरनेट में कार्य करने में आसानी होगी ।

छत्तीसगढ़ शासन  
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
:- मंत्रालय -:  
अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 19.5.2015 क्रमांक एफ 9-6/2015/तक.शि./42 :: छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के सेक्शन 3(6) के प्रावधान के अनुसार निजी संस्थाओं में संचालित एम.ई./एम.टेक. (Master of Engineering/Master of Technology), एम.फार्मेसी (Master of Pharmacy), एम.बी.ए. (Master of Business Administration) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश संबंधित सामान्य प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर होंगे । सत्र 2015-16 के लिये इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये क्रमशः Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE), Graduate Pharmacy Aptitude Test (GPAT) एवं Common Management Admission Test (CMAT) को सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में मान्य किया जाता है ।

GATE का आयोजन IITs द्वारा किया जाता है, जबकि GPAT एवं CMAT का आयोजन AICTE द्वारा किया जाता है। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना (जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को छोड़कर) अनिवार्य है। एमबीए के लिए Common Management Admission Test (CMAT) को प्राथमिकता दी जाएगी, तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर Management Aptitude Test (MAT)/Common Admission Test (CAT)/Xavier Aptitude Test(XAT)/ Joint Management Entrance Test (JMET), AIMS Test for Management Admissions (ATMA) आदि को भी समतुल्य सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में मान्य किया जाकर प्रवेश दिए जा सकेंगे। प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नियम/प्रक्रिया निर्धारित किये जाते हैं (इन्हीं नियमों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय/शासकीय विवि संस्थाओं में भी प्रवेश होंगे) :-

- 2.1 **संक्षिप्त नाम :-**ये नियम एम.ई./एम.टेक, एम.फार्मेसी, एमबीए पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2014’ कहलायेंगे। इन नियमों को एतस्मिन् पश्चात् ‘पीजी प्रवेश नियम’ कहा गया है।
- 2.2 **विस्तार :-**ये नियम उन अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो :-  
एम.ई./एम.टेक., एम.फार्मेसी, एमबीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में राज्य की शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में तथा निजी क्षेत्र की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अनुमोदित संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं तथा राज्य में स्थित उन सभी संस्थाओं पर लागू होंगे जो इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिये ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त हैं।
- 2.3 **परिभाषायें :-**  
इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-
  1. ‘प्रवर्ग’ का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा।
  2. ‘सक्षम प्राधिकारी’ (स.प्रा.) का तात्पर्य है ऐसा अधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
  3. ‘प्राचार्य’ का तात्पर्य है संस्था प्रमुख।
  4. ‘छत्तीसगढ़’ का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
  5. ‘अ.भा.त.शि.प.’ का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
  6. ‘संचालक’ का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
  7. ‘अभ्यर्थी’ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है।
  8. ‘प्रायोजित अभ्यर्थी’ (Sponsored Candidate) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जो राज्य शासन/ केन्द्र शासन /किसी पंजीकृत कम्पनी/संस्था में पूर्णकालिक अथवा संविदा पर कम से कम 2 वर्ष से नियोजित है तथा जिसे नियोक्ता/प्राधिकारित अधिकारी द्वारा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा अध्ययन करने हेतु अनुमति दिया गया हो।
  9. ‘वर्ग’ से अभिप्रेत है ‘सैनिक वर्ग’, ‘स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग’ एवं निःशक्तता से बाधित वर्ग’ में से कोई एक जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे ‘बिना वर्ग’ माना जायेगा।

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

**2.4 (अ) प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन** - विभिन्न प्रकार की संस्थाओं/पाठ्यक्रमों की सीटों को सत्र 2015-16 के लिये निम्नानुसार कोटा प्रतिशत में विभाजित किया गया है :-

विवरण	ME/MTech		M.Pharmacy		MBA	
	CG	Sponsored	CG	MGT	CG	MGT
निजी संस्थाएँ	75	25	85	15	85	15
शासकीय संस्थाएँ	75	25	100	NIL	100	NIL
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्था	75	25	100	NIL	100	NIL
अल्पसंख्यक संस्था	75	25	50	50	50	50

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :- इस कोटा के अंतर्गत छ.ग. के मूल निवासी छात्रों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। छ.ग. राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है। इस कोटे पर प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग द्वारा संचालनालय द्वारा की जायेगी।
- (2) प्रायोजित कोटा (Sponsored Quota) में केवल प्रायोजित अभ्यर्थी ही प्रवेश ले सकता है। निवास का बंधन नहीं है। इस कोटे पर प्रवेश संस्था स्तर पर होंगे परंतु इस कोटे में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। शेष सभी नियम लागू रहेंगे। प्रायोजित कोटा की व्यवस्था केवल ME/M.Tech. में ही रखी गई है।
- (3) मैनेजमेंट कोटा (Management Quota) :- इस कोटे के अंतर्गत छ.ग. राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के छात्र भी प्रवेश हेतु पात्र हैं। इस कोटे पर प्रवेश संस्था स्तर पर होंगे परंतु इस कोटे में प्रवेश के लिए भी शेष संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

टीप :-1 निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक **Special leave to appeal (Civil) 26436/2012** के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

2 कोई संस्था स्वेच्छा से मैनेजमेंट कोटा की समस्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में समर्पण कर सकती है। आंशिक समर्पण मान्य नहीं है। इसके लिए संस्था को काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा।

**2.4 (ब) प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान -**

2.4.1 तालिका-1 में एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं एवं उनमें प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की जानकारी दर्शाई गई है। तालिका-2 में एम.फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं एवं उनमें प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की जानकारी दर्शाई गई है तथा तालिका-3 में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं एवं उनमें प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की जानकारी दर्शाई गई है।

2.4.2 काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी संस्था को रु.1000/- प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कौशन मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कौशन मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा। यह कौशन मनी संस्थाओं द्वारा छात्रों की फीस संबंधी शिकायत के निराकरण के पश्चात वापसी योग्य है। फीस वापसी संबंधी शिकायतों का निराकरण यदि संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो जमा कौशन मनी से छात्रों को फीस वापस करने की कार्यवाही की जा सकती है।

2.4.3 **एम.ई./एम.टेक के लिए प्रायोजित अभ्यर्थियों हेतु सीटों की संख्या -**

कुल सीटों में से विषयवार/ब्रांचवार एवं संस्थावार 18/20 सीटों पर 5 सीटें, 24 सीटों पर 6 सीटें, 36 सीटों पर 9 सीटें प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। तथापि प्रायोजित सीटें नहीं भरने पर इसे अप्रायोजित अभ्यर्थी से GATE के माध्यम से भरा जा सकेगा। उसी प्रकार यदि सामान्य अप्रायोजित अभ्यर्थी से GATE के माध्यम से सीट नहीं भरती है, तो उसे प्रायोजित अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। एम. फार्मसी तथा एम.बी.ए. के लिए प्रायोजित सीटें उपलब्ध नहीं हैं।

## 2.5 सीटों का आरक्षण-

### 2.5.1 उर्ध्वाधार आरक्षण (Horizontal Reservation)

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए-

(अ) शासकीय संस्थाओं, शासकीय विवि संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है। शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी। इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है। आरक्षण के संबंध में समय-समय पर शासन के आदेश /अधिसूचना लागू होंगी। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी।

(ब) ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी।

टिप्पणी :-

- (अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- (द) अन्य राज्य के आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई आरक्षण अथवा योग्यता में छूट की व्यवस्था नहीं है। इन्हें अनारक्षित श्रेणी में मान्य करते हुए नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

### 2.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

शासकीय/शासकीय विश्वविद्यालय संस्था में केवल निःशक्तता से बाधित ( Handicap) अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है।

**2.5.3 महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण-** शासकीय एवं शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी में होरिजोन्टल वर्ग के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा। किसी भी वर्टिकल या उसके अंतर्गत होरिजोन्टल वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस प्रवर्ग की पात्रता के पुरुष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अन्य प्रवर्ग में समायोजित नहीं किये जावेंगे। **निजी संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है।**

### 2.5.4. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग

- 1 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-7 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
- 2 इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-8 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 3 किसी संस्था के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीट आबंटित किया जायेगा।

- 4 जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू कश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होंगे।

## 2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें -

### 2.6.1 शैक्षणिक अर्हता-

#### (अ) एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम हेतु

एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ई.) अथवा समुचित विषय में समकक्ष उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित (ST,SC,OBC & PWD) के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।

टीप:-1. बी.ई. के समकक्ष उपाधि जैसे MHRD से मान्यता प्राप्त संस्था से मान्यता प्राप्त AMIE आदि की उपाधि को भी प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा।

2. AICTE की नीति के अनुसार दूरस्थ शिक्षा से इंजीनियरिंग उपाधि (बीई/बी.टेक) प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।

#### (ब) एम.फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु

एम.फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मसी में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित (SC,ST,OBC, PWD ) के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।

#### (स) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी मान्यता प्राप्त संकाय/विषय में 3 वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित (SC,ST,OBC, PWD ) के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।

टीप :-1 यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 49.5 या उससे उपर को 50 तथा 44.5 या उससे उपर को 45 प्रतिशत मान्य किया जायेगा।

### 2.6.2 छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होने की आवश्यकता

प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक है। छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप-3) के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-4 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि

के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-5 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे। ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप-6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**अभिभावक की परिभाषा :**

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

**दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :**

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (Adoption Deed) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षों में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

**2.6.3 आयु सीमा**

इन पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2015 को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की जाती है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्तता से बाधित/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की छूट रहेगी। प्रायोजित अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा।

**2.7 प्रवेश हेतु चयन पद्धति -**

**2.7 (अ) सामान्य प्रवेश परीक्षा एवं मेरिट का निर्धारण -**

**1 एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम हेतु**

एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन IITs द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा गेट (GATE) की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में शून्य से अधिक प्राप्तांक अनिवार्य है। इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। मेरिट प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत/स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी।

**2 एम.फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु**

एम.फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन AICTE द्वारा आयोजित जीपेट (GPAT) के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में शून्य से अधिक प्राप्तांक अनिवार्य है। इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। मेरिट प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत/स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी।

**3 एम.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु**

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन AICTE द्वारा आयोजित सीमेट (CMAT) के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके पश्चात भी सीट रिक्त रहने पर CAT /MAT/XAT/ JMET/ ATMA को समतुल्य मानते हुये इसके मेरिट के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में शून्य से अधिक प्राप्तांक अनिवार्य है। इससे कम प्राप्तांक होने पर

## Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015

प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। मेरिट प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत/स्कोर (Score/Composite Score) के आधार पर तैयार की जाएगी।

- टीप : 1. एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित संबंधित/समुचित विषय में GATE में सम्मिलित होना अनिवार्य है, प्रायोजित अभ्यर्थी के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है।
2. अभ्यर्थी के पास संबंधित प्रवेश परीक्षा का वैध स्कोरकार्ड (Valid Score Card) होना अनिवार्य है।
- 5 प्रवेश परीक्षा में समान मेरिट/प्राप्तांक होने की स्थिति में पहले अर्हकारी परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले को तथा यह भी समान होने पर फिर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

### 2.7 (ब) एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम एवं GATE के विषय

क्र.	पी जी पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश दिया जाना है	पात्रता हेतु संबंधित डिग्री पाठ्यक्रम के ब्रांच/ विषय का नाम इंजीनियरिंग एवं साइंस	GATE के विषय
1	CAD - CAM (Robotics)	Mechanical Engg./ Production Engg.	ME/PI
2	Computer Science Engg.	Computer Science/InformationTech./ Electrical Engg/ Electronics & communication Engg. /Electrical & Electronics Engg./Instru & Control/ Electronics/Electronics & Instru/Computer Hardware & Software Engg./MCA/M.Sc.(IT)/ M.Sc.(CS)/ M.Sc.(Electronics)/AE&I	CS/EC/IN /EE
3	ET Engg.(Digital Electronics)	Electronics & communication Engg./ Electrical & Electronics Engg/Electronics/ Electronics & Instrumentation/ Instrumentation & Control/ AE&I/ M.Sc.(Electronics)	EC/IN
4	ET Engg. (Instrumentation.& Control)	Applied Electronics & Instrumentation/Electronics & Instrumentation/ Electronics & communication Engg./ Electrical & Electronics Engg/Instrumentation/ Electronics/Instrumentation & Control/Electrical	EC/IN
5	Environmental Engg.	Any Discipline	Any Subject
6	Civil Engg. (Structural Engg.)	Civil Engg.	CE
7	Computer Technology/ Computer Technology & Applications	Computer Science/InformationTech/MCA/ M.Sc.(IT)/ M.Sc.(CS)/Computer Tech.	CS
8	ET Engg. (Communication)	Electronics & communication Engg./ Electrical & Electronics Engg/Electronics/ M.Sc.(Electronics)/Electronics & Instrumentation	EC/IN
09	Computer Aided Design	Mechanical/ Production/ Refrigeration & Airconditioning/ Automobile/ Manufacturing/Industrial/Tool and Die Making/ Drilling Tech/ Fabrication Technology & Erection Engg./ Mechatronics/Textile Engg./Printing Tech./ Paper Tech./ Sugar Tech./Plastic Tech.	ME/PI/TF
10	Thermal Engg.	Mechanical Engg./Production Engg.	ME/PI
11	Power Electronics	Electronics & communication Engg. / Electrical & Electronics Engg/ Electronics/ AE&I/Electronics & Instrumentation/Electrical/M.Sc.( Electronics)	EE/EC/IN
12	VLSI & Embedded system design/VLSI Design	Electronics & communicationEngg./ Electrical & Electronics Engg/ Electronics/ Electronics & Instrumentation/CS/IT/Electrical Engg.	EC/CS/IN
14	Information Security	Computer Science/InformationTech/M.Sc.(IT)	CS
15	Software Engineering	Computer Science/InformationTech/M.Sc.(IT)	CS
16	Mechanical Engg. Design/ Machine Design	Mechanical Engg/Automobile Engg./Aeronautical Engg./Production	ME/PI
17	Mechanical Engg. (Production Engg.)	Mechanical Engg./ProductionEngg./Automobile/Material Science/Manufacturing/Industrial Engg./Metallurgy Engg.	ME/PI/MT



## Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015

18	Elect. Engg. (Power System Engg.) /Electrical Devices & Power System Engineering	Electrical Engg./Electrical & Electronics Engg./Power Engg.	EE
19	Nano Technology	Electronics/Instrumentation/E&I/Material Science/Chemical / Bio Tech. / M.Sc.(Electronics)/M.Sc(Physics) /M.Sc.(Chemistry), M.Sc.(Bio. Tech.)	EC/IN/CH/ BT/PH/CY
20	Machine Design	Mechanical Engg./Automobile Engg./Aeronautical Engg./Production Engg.	ME/PI
21	Information Technology	Computer Science/Information Tech/Computer Tech./MCA/ M.Sc.(IT)/ M.Sc.(CS)	CS
22	Industrial Engg. /Industrial Engg. & management	Mechanical Engg/Mechatronics/Automobile Engg./Aeronautical Engg./Industrial Eng/Production Engg./Metallurgy Engg.	ME/IN/PI/ MT
23	E-Security	Computer Science/InformationTech/Computer Hardware & Software Engg./ Applied Electronics & Instrumentation/ Electronics & Instrumentation/ Electronics & communication Engg./	CS/EC/IN
24	Electronics and Telecommunication	Electronics & Communication Engg. / Electrical & Electronics Engg/Electronics/Electronics & Instrumentation/M.Sc.(Electronics)	EC/IN
25	Electronics and Instrumentation	Applied Electronics & Instrumentation/ Electronics & Instrumentation/ Electronics & Communication Engg./ MCA/ M.Sc.(IT)/ M.Sc.(CS)	EC/IN

- टीप :- 1. समुचित Technical Subject को समान मानते हुये एकजाई मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।
2. किसी Technical Subject के समतुल्य होने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. यह नियमित कोर्स है एवं नौकरी पेशा अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अपने नियोक्ता से इस संबंध में अनापत्ति /प्रायोजन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इनके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है।
4. Electronics, Electronics & Communication, Electronics & Telecommunication को समतुल्य माना जाएगा। Applied Electronics & Instrumentation , Electronics & Instrumentation को समतुल्य माना जाएगा। इसी प्रकार Physics एवं Applied Physics तथा Chemistry एवं Applied Chemistry को समतुल्य माना जाएगा।
5. एम.ई./एम.टेक. के किसी विषय में प्रवेश के लिए गेट के विभिन्न विषयों को समान मानते हुए प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर मेरिट निर्धारित किया जाएगा।

### 2.8 आबंटन/प्रवेश प्रक्रिया-

- 2.8.1 इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिये संस्था आबंटन हेतु कार्य काउंसिलिंग समिति द्वारा केन्द्रीय ऑन लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। काउंसिलिंग समिति सक्षम अधिकारी द्वारा गठित की जाएगी।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अतः प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें। काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट [www.cgdterapur.ac.in](http://www.cgdterapur.ac.in) तथा ऑन लाइन काउंसिलिंग हेतु संबंधित वेबसाइट [www.mkcl.biz/cgmembtech2015](http://www.mkcl.biz/cgmembtech2015), [www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015](http://www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015), [www.mkcl.biz/cgmba2015](http://www.mkcl.biz/cgmba2015) में भी देखी जा सकती है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना/कॉल लेटर नहीं भेजी जायेगी।

काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) के समय अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्हकारी परीक्षा अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होंगे। तथापि संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परंतु कृपांक के अंक मेरिट की गणना के लिए जोड़े नहीं जाएंगे। प्रायोजित अभ्यर्थी का प्रवेश संस्था स्तर पर होगा। इसके लिए प्रायोजित अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी से प्रायोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रायोजित सीटों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको की मेरिट के आधार पर होगा एवं शेष नियम तथा आरक्षण का नियम भी इसमें लागू रहेगा।

2.8.2 काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस - सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु.500/- (रुपये पाँच सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है। यह राशि चालान के रूप में **भारतीय स्टेट बैंक** के देश भर में स्थित किसी भी शाखा में “**संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़**” के नाम से **संचालित खाता क्रमांक - 31077008342** में जमा करना है। फीस चालान के अतिरिक्त और किसी अन्य रूप में जैसे :- डी.डी., चेक, नगद के रूप में फीस स्वीकार्य नहीं है। ऑनलाईन काउंसिलिंग फार्म भरने से पूर्व रु.500/- का चालान जमा कर लें। चालान निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें, चालान का प्रारूप प्रवेश नियम पुस्तिका के अंत में दिया गया है। एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है। चालान का प्रारूप वेबसाइट [www.cgdterapur.ac.in](http://www.cgdterapur.ac.in) अथवा [www.mkcl.biz/cgmemtech2015](http://www.mkcl.biz/cgmemtech2015), [www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015](http://www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015), [www.mkcl.biz/cgmba2015](http://www.mkcl.biz/cgmba2015) से भी डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है। **चालान फार्म में Registration ID/Ref. No. के सामने प्रवेश परीक्षा (GATE/GPAT/CMAT) का रोल नंबर लिखें।** इसकी तीन प्रतियों में से एक प्रति बैंक में जमा होगी, **DTE** की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं **Candidate Copy** को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है।

**2.8.3 ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :-**

सामान्यतया ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी, तथापि इसमें आंशिक फेरबदल हो सकते हैं। ऐसा होने पर इसकी जानकारी समाचार पत्रों एवं संबंधित वेबसाइट में दी जायेगी। तीनों पाठ्यक्रम के लिए निम्नानुसार पृथक-पृथक वेबसाइट बनाई गई है :-

पाठ्यक्रम का नाम	वेबसाइट का नाम
M.E./M.Tech	<a href="http://www.mkcl.biz/cgmemtech2015">www.mkcl.biz/cgmemtech2015</a>
M. Pharmacy	<a href="http://www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015">www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015</a>
M.B.A.	<a href="http://www.mkcl.biz/cgmba2015">www.mkcl.biz/cgmba2015</a>

**1.(A) Online Registration :** ऑनलाईन पंजीकरण (Online Registration) जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायबर कैफे में, Choice Centres में, किसी इंटरनेट पार्लर पर अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित सहायता केन्द्रों (Help Centres) में कराया जा सकता है। कम्प्यूटर सिस्टम में **Internet Explorer 6** अथवा उससे उच्च क्षमता वाले वेब ब्राउजर का होना आवश्यक है। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये। स्नातक की अंकसूची, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची, बैंक चालान की प्रति। संस्थाओं की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी रहेगी।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चरण (Steps) करने होंगे :-

सबसे पहले उम्मीदवार को संबंधित वेबसाइट [www.mkcl.biz/cgmemtech2015](http://www.mkcl.biz/cgmemtech2015), [www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015](http://www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015) अथवा [www.mkcl.biz/cgmba2015](http://www.mkcl.biz/cgmba2015) में जायें। इसके होम पेज पर कई जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे :- समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी, बैंक चालान का प्रारूप, विभिन्न प्रारूपों की जानकारी, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी आदि। इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें।

- 1 (अ) इसके पश्चात् स्क्रीन के बायें तरफ के मेनु **[New Registration]** को क्लिक करें एवं दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। फिर **[Proceed]** बटन में क्लिक करें। दिये गये नियम एवं शर्तों (**Terms & Conditions**) को ध्यान से पढ़ें, यदि ये शर्तें आपको मान्य है तो **[Accept]** बटन पर क्लिक करें। **[Reject]** करने पर आप प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। यदि आपने त्रुटिवश **[Reject]** कर दिया है तो पुनः **[New Registration]** में जाकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- 1 (ब) अगली स्क्रीन पर आपके मूल निवास की जानकारी पूछी जायेगी, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो सलेक्ट Domicile Status में Chhattisgarh Domicile रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें। यदि आप अन्य राज्य के निवासी है तो सलेक्ट Domicile Status में Other State Domicile रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें। **प्रवेश परीक्षा (GATE/GPAT/CMAT) का रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर (Registration/Roll No.),** स्कोर कार्ड की वैधता तिथि (Date up to which Score Card is Valid) एवं जन्मतिथि (**DOB**) एंटर करें। इसके बाद आपको Password डालने के लिये कहा जायेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी Password जिसे आप आसानी से याद रख सकें, यहाँ एंटर करें। पासवर्ड 06 digit का होना चाहिये एवं यह शब्दों या अंकों अथवा दोनों के मेल से बनाया जा सकता है। पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिये पुनः दोबारा भरे जाने के लिये कहा जायेगा। इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>**

करें। अगले स्क्रीन पर आपको अपना लॉगईन आई.डी. नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, चाहें तो प्रिंट ले लें। अपना लॉगईन आई.डी. एवं पासवर्ड याद रखें। यह बाद में प्रवेश के समय भी काम आयेंगे। इसे किसी अनाधिकृत व्यक्ति को न बतायें। इसके पश्चात् **Proceed to fill application form >>>** में क्लिक करें।

- 1 (स) इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आपके द्वारा व्यक्तिगत जानकारियाँ जैसे नाम, पिता/माता का नाम, केटेगरी, क्लास, बीपीएल की जानकारी, मातृभाषा, धर्म, परिवार की आय, क्षेत्र, पता, राज्य, पिनकोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर आदि इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें।
- 1 (द) शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में निर्धारित स्थान पर अर्हकारी स्नातक परीक्षा का नाम **Specialisation** ब्रांच/पाठ्यक्रम का नाम, रोल नंबर एवं बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरें। इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें।
- 1 (ई) इसके पश्चात् प्रवेश परीक्षा का रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर (**Registration/Roll No.**), पेपर (विषय) का नाम, प्राप्तांक (100 पूर्णांक में से) एवं आल इंडिया रैंक, **Score**, उत्तीर्ण करने का वर्ष आदि भरना होगा। इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें।
- 1 (फ) चालान संबंधी जानकारी- भारतीय स्टेट बैंक के जिस ब्रांच में चालान जमा किया गया है उस ब्रांच का नाम एवं जमा करने की तिथि अंकित करें।

**1. (B) विकल्प (Option) भरना -**

(अ) विकल्प भरने के लिये **Select Branch/Course** में जाये। यहां आपकी पात्रता अनुसार **PG** के ब्रांचों के नाम प्रदर्शित होंगे। किसी एक ब्रांच का नाम चुनें एवं क्लिक करें। इस ब्रांच को संचालित करने वाली संस्थाओं के नाम वर्णमाला के क्रम (**Alphabatically Order**) में नीचे प्रदर्शित होंगे। जिस-जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं, उनके सामने के चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें। आप जितना चाहें उतनी संस्थाओं का नाम दे सकते हैं (अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें)। इसके पश्चात् **[Add Selected Options]** को क्लिक करें। चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्शित हो जायेंगे। अब दूसरे ब्रांच को क्लिक करें, इसको संचालित करने वाली संस्थाओं की सूची प्रदर्शित होगी। जहाँ-जहाँ प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उनको चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें। पुनः **[Add Selected Options]** बटन दबायें, चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्शित सूची में जुड़ जायेंगे। यही प्रक्रिया अन्य ब्रांच के लिये करें। **आप उपलब्ध सभी ब्रांच एवं सभी संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं। परंतु आबंटन केवल आपकी मेरिट के आधार, एवं सीट उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रम के आधार पर केवल एक ही ब्रांच एवं एक ही संस्था के लिये होगा।** इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद तब अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें।

टीप :- **Select Branch/Course** में केवल वे ही ब्रांच प्रदर्शित होंगे जिनमें अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है।

**विकल्प का प्राथमिकता क्रम (Priority/Preference) देना :-**

(ब) आपके द्वारा चुनी हुई संस्थाओं की सूची में से जिस संस्था में आप पहले प्रवेश लेना चाहते हैं उसको पहला क्रम (preference) देने हेतु उसके सामने **[Set Preference]** में क्लिक करें। इसका क्रम **Preference No. 1** आ जायेगा। अब प्राथमिकता क्रम में दूसरे (preference) का चयन करें। उसका क्रम-2 आ जायेगा। इसी प्रकार सभी बॉक्स को टिक करते जायें। सभी विकल्प के सामने क्रम प्रदर्शित होते जायेंगे। सभी विकल्प का क्रम पुनः जांच कर लें। यदि आपको यह लगता है कि क्रम बदलना चाहिये या क्रम में कोई त्रुटि हो गई है तो इसे आप बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिये **[Reset My Preference]** में क्लिक करें। इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे। अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें। जब आप आश्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें।

(टीप :- 1. यह आवेदक की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसकी स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है। किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है। सलाह दी जाती है कि सहायता केन्द्रों में जाने से पहले अपना संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें। जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे।

2. आपको संस्था का आबंटन आपके प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा, परंतु यह हो सकता है जो प्राथमिकता क्रम आपने भरे हैं वे आपका मेरिट अन्य से कम होने के कारण आपको न मिले। यह भी ध्यान रखें कि चूंकि आबंटन कार्य पूरी तरह से साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन होता है। अतः यदि आपने विकल्पों का चयन तो किया है परंतु उनका क्रम नहीं दिया है तो उन विकल्पों का आबंटन नहीं होगा जिनका चयन तो आपने किया है परंतु क्रम नहीं दिया है। केवल उन्हीं विकल्पों में से आबंटन होगा, जिनका क्रम आपने दिया है।

(स) इसके पश्चात् स्क्रीन पर **Application cum Option Form** प्रदर्शित होगा, इसका प्रिंट ले लें, एवं प्रिंट लेने के पश्चात् फोटो लगा लें। इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है क्योंकि इसी प्रिंट को लेकर आपको दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में जाना है। यदि प्रिंट लेने के पश्चात् आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव अभी किया जा सकता है। यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म का **Version No.** बदल जायेगा। **Version No., Application cum Option Form** के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया रहता है। निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं। परंतु इसके पश्चात् विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी। जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम (**Version**) ही मान्य किया जायेगा। इसके पूर्व के विकल्प नहीं।

**विकल्प बदलने की प्रक्रिया -**

यदि आप विकल्प बदलना चाहते हैं तो आप पुनः **Registered Candidate Login** में जायें, स्क्रीन पर बायें तरफ के संबंधित टेब **Shortlist Your Option** अथवा **Set Your Preference** में जायें। यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों का केवल क्रम बदलना है तो **Set Your Preference** में जायें तथा यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों में कुछ नये विकल्प जोड़ने या घटाने हैं तो पहले **Shortlist Your Option** में जायें तत्पश्चात् **Set Your Preference** में जाकर पुनः उनका क्रम दें एवं पुनः उसका प्रिंट ले लें और इस **Application cum Option Form** जिसमें आपसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एवं विकल्पों का क्रम रहेगा, को लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में जायें। अंतिम **Version** क्रमांक वाला विकल्प फार्म ही मान्य होगा। **Application cum Option Form** की दो कॉपी कर लें एवं 01 कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा करें। साथ में अनिवार्य रूप से सभी मूल अंकसूची एवं उसकी फोटो कॉपी की एक सेट भी लेकर जायें।

**टीप :-** आप रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन फार्म कहीं से भी भर सकते हैं यदि किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई होती है तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अथवा सहायता केन्द्रों (**Help Centre**) में जाकर मदद पाई जा सकती है।

**अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :-  
(इस सूची में परिवर्तन हो सकता है। जिसकी जानकारी वेबसाइट में रहेगी)**

स. क्र.	सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स.क्र.	सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	ग्लोबल मल्टीमीडिया, हनुमान मंदिर के पास, डी.सी. रोड, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-203096 98268-77024 97536-45205	15	फ्युचर ब्राइट कम्प्युटर एजुकेशन, कुर्मी छात्रावास, बस स्टैंड के पास कवर्धा	कवर्धा	93004-29449 75666-43699
2	आदर्श एकेडमी ऑफ आई.टी., सत्या हीरोहोन्डा शोरूम के पास, मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-412207 88238-10489	16	एनेक्स कम्प्युटर एजुकेशन, गायत्री मंदिर काम्लेक्स, पैलेस रोड, सारंगढ़	रायगढ़	07768-233902 93009-60024 93291-52626
3	डी.टेक. कम्प्यूटर्स, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, राजकिशोर नगर, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-427708 92298-28788	17	प्रोग्रेसिव कम्प्युटर, गुरुनानक स्कूल के पास, कोस्टा पारा, नया गंज, रायगढ़	रायगढ़	07762-225540 94252-52051 74897-15491
4	एम्स कम्प्यूटर, डी.पी. विप्र बी.एड. कॉलेज के पास जेवरा बाड़ा, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-407578 96174-99156 92292-43357	18	शिवांता टेक्नालॉजी,, प्रथम तल, कृष्णा प्लाजा, बिन्दा सोनकर स्कूल के सामने, अ-वनी नगर, रायपुर	रायपुर	0771-4058990 98267-00068
5	आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी., ओजस्वी नर्सिंग होम के सामने, गुलमोहर वाटिका, रूद्री रोड,, धमतरी	धमतरी	93028-32896 98264-32896	19	आसैक (ISAAC) कम्प्यूटर एजुकेशनल, ऑपोजिट राजकुमार कॉलेज, चौबे कॉलोनी, रायपुर	रायपुर	0771-4061441 98271-44077
6	हिमांशु इंफोटेक, प्रथम तल, 108 न्यू सिविक सेंटर, गीत टॉकीज के पीछे, भिलाई	दुर्ग	0788-2352445 99268-44199	20	ICDE कम्प्यूटर एजुकेशन अपोजिट बंकर सोसायटी, आमापारा, रायपुर	रायपुर	75871-45303
7	पेस आई.टी. सिंधी कॉलोनी, डॉ. सिद्धीकी क्लिनिक के उपर, स्टेशन रोड, गुरुद्वारा के पास, दुर्ग	दुर्ग	0788-4013474 98271-71227	21	अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेशन, दिग्विजय कॉलेज रोड, राजनांदगाँव	राजनांदगाँव	07744-409555 93295-51000
8	अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साई मंदिर के सामने, सिविल लाईन्स,	दुर्ग	0788-2326540 93023-53905 93021-87300	22	सी-टेक कम्प्यूटर एजुकेशन, बालेराय स्टेडियम के सामने,	जांजगीर-चांपा	07819-244288 98261-96610

**Admission Rule for M.E./M.Ph/MBA – 2015**

	कसारीडीह, दुर्ग				मेनरोड, जांजगीर-चांपा		
9	साईबर स्पॉट वी-7 नेशनल हाईवे 12 ए, सुन्दर नगर, रायपुर रोड, बेमेतरा।	बेमेतरा	07824-222098 93002-55631 93002-55623	23	नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड, नारायणपुर	नारायणपुर	94255-18385
10	यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेशन, जैन मंदिर रोड, जगदलपुर	बस्तर	07782-226632 94252-61196	24	नेशनल कम्प्यूटर्स, चर्च के पास, कांकेर	कांकेर	98278-87087 94252-61817
11	सेट कम्प्यूटर, भाटिया कॉलोनी, शासकीय हास्पिटल के सामने, पथलगाँव	जशपुर	07765-234000 94241-83777	25	ट्रैक कम्प्यूटर, साडा काम्प्लेक्स, ए-12, बस स्टेण्ड, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	07856-252324 94252-58546
12	शर्मा कम्प्यूटर्स, करबला चौक, जशपुर	जशपुर	07763-223600 94252-52975	26	नाईस-टेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखंड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास, मनेन्द्रगढ़	कोरिया	07771-241927 93015-87039
13	राहे कम्प्यूटर, निहारिका टॉकीज के पास, कोरबा	कोरबा	07759-226144 81035-23771	27	इंडियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, पिंजा धर्मशाला के पास, स्टेशन रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-222131 98264-26982
14	एजुकेशन प्लानेट, दीनदयाल मार्केट के सामने, पावर हाउस रोड, कोरबा	कोरबा	07759-228705 98263-12327				

टीप :- सहायता केन्द्र केवल अभ्यर्थी को फार्म भरने के लिये कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं वेबसाइट के पेजों का उपयोग कैसे किया जाये, इसके बारे में ही सलाह दे सकेंगे। विकल्प अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार भरना है। सहायता केन्द्रों का उपयोग करने पर अभ्यर्थी को रु. 10/- प्रोसेसिंग शुल्क एवं रु. 5/- प्रति पेज का प्रिंटिंग शुल्क देय होगा। कोई भी सहायता केन्द्र आपकी इच्छा के विरुद्ध विकल्प नहीं भर सकता, विकल्प अभ्यर्थी को ही भरना है।

**2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –**

आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है तथापि यदि आवश्यक हो तो केवल एक पालक साथ में आ सकते हैं। दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है। ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा)।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा। एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :-  
(सूची में परिवर्तन हो सकता है। जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर	रायपुर	0771-2421376	12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर, खोखरा भाटा,	जांजगीर	07817-222463
2	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609	13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ़	07762-222737
3	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, विलासपुर, कोनी,, विलासपुर	विलासपुर	07752-260289	14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, भकरपुर, नारायणपुर	नारायणपुर	07781200078	15	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरवा, बालको, उरगा, रिंग रोड, कोरवा	कोरवा	07759-659874
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	विलासपुर	07753-264963	16	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी. टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-224818
6	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर, धरमपुरा नं- 2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229436	17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बायरन बाजार, रायपुर,	रायपुर	0771-2423045
7	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, धरमपुरा नं.-2, जगदलपुर,	बस्तर	07782-229230	18	मिनीमाता शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक तहसील कार्या., राजनांदगोव,	राजनांदगोव	07744-226830
8	भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722-237618	19	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगोव	07820-234010
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548	20	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	07706241303
10	शासकीय पॉलीटेक्निक रामानुज उच्च. मा.शाला भवन, बैकुण्ठपुर	कोरिया	07836232070	21	शासकीय पॉलीटेक्निक पुराना कोर्ट भवन कांकेर	कांकेर	07868222081
11	शासकीय पॉलीटेक्निक, शास. एन.ई. एस. पी.जी. कालेज केम्पस जशपुर	जशपुर	07763220051	22	शासकीय पॉलीटेक्निक वेंकटराव कालेज केम्पस, बीजापुर	बीजापुर	07853220015

यह हो सकता है कि किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही हो ऐसा होने पर किसी अन्य नजदीकी संस्था में जाकर दस्तावेज परीक्षण कराया जा सकता है।

दस्तावेज परीक्षण हेतु समय-सारणी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में यथा समय प्रसारित की जायेगी।

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लिये हैं। जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं : सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज - सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 1 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है, परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है। केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है। सभी मूल प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी।

- कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति (फोटो लगा हुआ)।
- 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
- स्नातक/अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)। दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। **पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का दस्तावेज परीक्षण नहीं किया जायेगा।**
- प्रवेश परीक्षा ( GATE,GPAT,CMAT) की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)।
- छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र-4 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक - 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाईस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)।

6. रु.500/- काउंसिलिंग फीस जमा करने के साक्ष्य के रूप में बैंक चालान की DTE प्रति।

**छत्तीसगढ़ राज्य की आरक्षित श्रेणियों के लिये अतिरिक्त अनिवार्य दस्तावेज -**

7. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा)। अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।
8. यदि अभ्यर्थी निःशक्तता से बाधित (PWD) है तो निःशक्तता से बाधितता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।
9. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार में आता है तो सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।

टीप : यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**Category**) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर। उसी प्रकार यदि आपके पास निःशक्तता से बाधित का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (**Class**) को **Nil** में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार आबंटन होगा।

उपरोक्त प्रमाण पत्र लेकर जब आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों से आपके **Application cum Option Form** में दी गई जानकारी का मिलान किया जायेगा एवं यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिये कहा जायेगा। यदि आपकी किसी जानकारी जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, केटेगरी, क्लास, लिंग आदि में फार्म भरते समय त्रुटि हो गई हो तो लिखित में आवेदन देकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सुधरवाया जा सकता है। जब सभी दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका **Application cum Option Form** को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया जायेगा। सबमिट करने पर **Acknowledgement cum Option Form** प्रदर्शित होगा। इसके बाद इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकेगा। **Acknowledgement cum Option Form** की 1 प्रति प्रिंट की जायेगी एवं इसमें छात्र के हस्ताक्षर लिये जायेंगे तथा परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं **DVC** की सील भी लगाई जायेगी। **DVC** द्वारा आपको **Acknowledgement cum Option Form** की 01 प्रति दी जायेगी, जिसे आप सुरक्षित रखें। काउंसिलिंग स्थल से बाहर जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो फार्म आपको दी गई है वह **Acknowledgement cum Option Form** फार्म ही है एवं उसमें **DVC** की सील लगी है।

निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में नहीं है इसीलिये इन दस्तावेजों को साथ में नहीं लाना है, परंतु इनकी आवश्यकता संस्थानों में प्रवेश लेते समय रहेगी। अतः संस्था में प्रवेश के समय साथ लेकर जायें :-

1. SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण-पत्र
2. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र
3. गेप प्रमाण-पत्र (यदि स्नातक अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)
4. माइग्रेशन प्रमाण-पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)

टीप :- यदि आपको किसी सहायता केन्द्र अथवा दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है।

**3. सीट आबंटन**

(अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् एक निश्चित तिथि को सभी अभ्यर्थियों का संस्था आबंटन कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये विकल्प का आबंटन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा दिये गये एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म के प्रिंट आउट में दिये गये जानकारी के अनुसार उनके प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार तथा उस वर्ग/प्रवर्ग में वह सीट उसकी बारी आने तक उपलब्ध रहने के आधार पर होगा। आबंटन हेतु प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार रहेगा :-

1. सबसे पहले छ.ग. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों का GATE/GPAT/CMAT 2015 आदि की मेरिट के आधार पर क्रमशः M.E./M.Tech, M.Ph., M.B.A. की सीट आबंटन किया जाएगा।

2. तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी का GATE/GPAT/CMAT 2015 आदि के मेरिट के आधार पर संबंधित पाठ्यक्रम की सीट आबंटन किया जाएगा।

आबंटन सूची इसी संबंधित वेबसाइट [www.mkcl.biz/cgmtech2015](http://www.mkcl.biz/cgmtech2015), [www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015](http://www.mkcl.biz/cgmpharmacy2015), [www.mkcl.biz/cgmba2015](http://www.mkcl.biz/cgmba2015) पर देखा जा सकता है, यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो SMS के द्वारा आपको सूचित किया जायेगा। SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी संचालनालय की नहीं रहेगी।

(ब) आप **Check Allotment Details** में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसकी 1 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। इसे लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें।

#### 4. आबंटित संस्था में प्रवेश लेना -

आबंटित संस्था में दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आपका आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। ध्यान रखें कि प्रवेश के समय आबंटित संस्था में भी आपके दस्तावेजों की जांच होगी। अतः संस्था में प्रवेश के लिये अस्थायी आबंटन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ संस्था में उपस्थित हों, संस्थाओं की फीस की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर दी गई है। यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र द्वारा गलत जानकारी देने के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण गलत प्रवेश/आबंटन हो गया है तो प्रवेश/आबंटन रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को रहेगा।

चूंकि प्रवेशित छात्रों की जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन रोजाना अपडेट की जायेगी। अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये अपने सामने ही वेबसाइट के इंस्टीट्यूट लॉग इन में अपना प्रवेश कन्फर्म करवा लें इस हेतु आपको अपने पासवर्ड की आवश्यकता होगी। बिना ऑनलाईन कन्फर्म किये छात्र का प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं यह सीट रिक्त मानी जायेगी।

#### 5. प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट में अपलोड करना -

प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् समस्त संस्थाओं में कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेश नहीं लेने के कारण एवं प्रथम चरण में आबंटन नहीं होने के कारण रिक्त सीटों की सूची निर्धारित तिथि को प्रदर्शित की जायेगी।

#### 6. द्वितीय या उच्च चरण की काउंसिलिंग -

आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय या उच्च चरण की काउंसिलिंग की जा सकती है। प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय या उच्च चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिये द्वितीय या उच्च चरण में पुनः वैसे ही प्रक्रिया अपनायच्छ जायेगी, जो प्रथम चरण में थी। इसमें चार प्रकार के अभ्यर्थी हो सकते हैं।

1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् संस्था में प्रवेश ले चुके हैं - ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित संस्था बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है परंतु उन्हें भी इस चरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए उन्हें अपनी पूर्व सीट निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने पर उनकी पूर्व आबंटित सीट स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं यह आवश्यक नहीं है कि उसे वह सीट पुनः मिले। ऐसे अभ्यर्थी सोच-समझकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। इन्हें पुनः रु.500/- काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन प्राप्त किये थे परंतु संस्था में प्रवेश नहीं लिये - ऐसे अभ्यर्थी की पूर्व आबंटित सीट निरस्त मानी जायेगी एवं ये पुनः द्वितीय या उच्च चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इन्हें पुनः रु.500/- काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परंतु आबंटन नहीं हुआ था - ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें पुनः रु.500/- काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा। यदि विकल्प नहीं बदलते हैं तो उन्हें रु.500/- का चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे।
4. यदि अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे - ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय या उच्च चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिये इन्हें रु.500/- काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा।

**टीप :** जो छात्र प्रथम चरण में किसी संस्था में प्रवेश ले चुके हैं एवं द्वितीय या उच्च चरण में उन्हें अन्य संस्था आबंटित होती है। ऐसे छात्रों से उनके द्वारा जमा की गई कुल फीस में से रु.1000/- की कटौती संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष समस्त राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस की जानी है। इसके अतिरिक्त और कोई कटौती नहीं की जानी है।



**7. द्वितीय या उच्च चरण हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में दस्तावेज का परीक्षण कराना एवं शुल्क जमा करना**

यह कार्य केवल उन्ही अभ्यर्थियों को कराना है जो प्रथम बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो अभ्यर्थी पहले के चरण में दस्तावेज परीक्षण करवा चुके हैं उन्हें पुनः दस्तावेज परीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु उन्हें रु.500/- का चालान जमा करने हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके बिना रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं माना जायेगा एवं आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

**8. द्वितीय या उच्च चरण का सीट आबंटन**

द्वितीय या उच्च चरण में विकल्प बदलने वाले अभ्यर्थियों, नये अभ्यर्थियों एवं प्रथम चरण में आबंटन से वंचित अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर आबंटन सूची निर्धारित तिथि को जारी की जायेगी। जिसे वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है।

**9. आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य**

द्वितीय या उच्च चरण में आबंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। जो अभ्यर्थी पूर्व के चरणों में किसी संस्था में प्रवेश ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश लेने की अनुमति है, परंतु बाद में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

**10.** किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।

**11.** कृपया वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें ताकि किसी तरह की प्रक्रिया में बदलाव अथवा अद्यतन जानकारी से अवगत रहें।

**2.8.4 गंभीर बीमारी:**—यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा।

**2.8.5** प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे।

**2.8.6 (अ)** किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD) में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग (OP) में परिवर्तित कर भरा जाएगा। परंतु अनारक्षित प्रवर्ग (UR) के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD) के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले निःशक्तता से बाधित वर्ग के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा।

**(ब)** किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति (SC) के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इन दोनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन प्रवर्गों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जब इन तीनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित प्रवर्ग (UR) के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

**2.8.7** एक बार अभ्यर्थी काउंसिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है परंतु अगले चरण में रजिस्ट्रेशन करने पर उसकी वर्तमान सीट निरस्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट में जुड़ जायेगी। यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकता है।

**2.8.8 छात्र द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम -**

1. काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अपना प्रवेश रद्द करवाने पर रू.1000/- की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी।
2. प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tution & Other Fees and Development Fees) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी। कौशन मनी पूरी वापस की जायेगी।  
कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :-

$$\text{Deductable Fees} = \text{No. of admitted months} * \text{Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University}$$

फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं। प्रत्येक माह को 31 दिवस के गुणांक में माना जायेगा। यदि उससे अधिक दिवस होता है तो उसे एक माह के बराबर माना जायेगा।

3. प्रवेश निरस्त कराने/होने पर फीस वापसी के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर फीस विनियामक समिति के निर्णय/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी।

**2.8.9 संस्था स्तर की काउंसिलिंग :**

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए ऑन लाईन काउंसिलिंग के अधिकतम 3 चरण करने के पश्चात् भी यदि संस्थाओं में सीटें रिक्त रह जाती है और यदि सक्षम अधिकारी के राय में इसके पश्चात् संस्था स्तर की काउंसिलिंग कराये जाने की आवश्यकता हो तो प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जा सकेगी। संचालनालय से बिना पूर्व अनुमति के संस्था स्तर की काउंसिलिंग नहीं की जा सकेगी। संस्था स्तर की काउंसिलिंग विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा रिक्त सीटों की जानकारी देकर करनी होगी। किसी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीट पर अन्य संस्थाओं के छात्र भी शामिल हो सकते हैं।

2.8.10 **प्रवेश की अंतिम तिथि** : स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सत्र 2015-16 में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2015 निर्धारित की जाती है। इस संबंध में माननीय न्यायालय/शासन का निर्णय अंतिम होगा।

2.9 **संचालनालय/संस्था द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त करना**-यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है, या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संचालनालय/संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक, तकनीकी शिक्षा, रायपुर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.11 छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.12 **शिक्षण शुल्क** - “छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008” के अंतर्गत गठित की गई “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” द्वारा एमई/एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए दिनांक 25.06.2014 को पारित संकल्प में एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2015-16 की फीस का निर्धारण कर दिया गया है। शासन के आदेश के पश्चात् विभिन्न संस्थाओं की फीस निम्नानुसार होगी : -

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

**एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2015-16 के लिये अंतरिम शुल्क**

S.N.	Name of Institution (For M.E./M.Tech Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Tuition fee, Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg	31725
2	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Bilaspur	31725
3	Christian College of Engineering & Technology, Bhilai	31725
4	Raipur Institute of Technology, Raipur	31725
5	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	31725
6	Shri Shankaracharya group of Institutions faculty of Engg. & Technology, Bhilai	31725
7	Mats School of Engineering and Technology, Raipur	26225
8	Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Mujgahan, Raipur	26225

उपरोक्त शुल्क में रु 2350 प्रति सेमेस्टर विकास शुल्क तथा रु 2000 प्रति सेमेस्टर विविध शुल्क सम्मिलित है। शेष संस्थाओं की अंतरिम फीस भी उपरोक्तानुसार ही होगी। अंतिम फीस लागू होने पर अंतर की राशि देय होगा।

**एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2015-16 के लिये अंतरिम शुल्क**

S.N.	Name of Institution (For MBA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges, weightage and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai-House, Durg	31830
2	Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur	29830
3	Disha Institute of Management & Technology, Nardaha, Raipur	31830
4	Disha School of Management Education Nardah, Distt. – Raipur	21220
5	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Kota, Bilaspur	29830
6	Raipur Institute of Technology, Chhatona, Mandir Hasaud, Raipur	31830
7	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, Bhilai	31830
8	Sri Shankaracharya Group of Institutions, Faculty of Mangt. Studies, Junwani, Bhilai	31830
9	Columbia Institute of Engg. & Technology, Tekari, Raipur	29830
10	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology, Pacheda, Raipur	29830
11	Shri Sankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur	31830
12	Shri Sankaracharya Institute of Technology & Management, Junwani, Bhilai	31830
13	Shri Shankaracharya Engineering College, Junwani, Bhilai	31830

उपरोक्त शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क (रु.1975/- प्रति सेमेस्टर) एवं अन्य विविध शुल्क (रु. 2000/- प्रति सेमेस्टर) सम्मिलित है।

एम. फार्मसी पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2015-16 के लिए फीस के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है। समिति द्वारा अंतिम फीस निर्धारण के पश्चात् शासन द्वारा अंतिम फीस की आदेश जारी की जायेगी तदनुसार फीस देय होगी। जैसे ही इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किया जायेगा इसकी जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध करा दी जायेगी। तब तक इन पाठ्यक्रम हेतु अंतरिम फीस देय होगी जो पिछले वर्ष के अंतिम शुल्क के समान होगा, जो कि निम्नानुसार है :-

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

**एम.फॉर्मोसी पाठ्यक्रम के लिये सत्र 2015-16 के लिये अंतिम शुल्क**

S.N.	Name of Institution	M Pharmacy Total Fee (Per Semester)
1	Columbia College of Pharmacy, Raipur	50,120/-
2	Rawatpura Sarkar Institute, Kumhari, Durg	50,120/-
3	Rungta College of Pharmaceutical Science & Research, Bhilai	50,120/-
4	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	50,120/-

**टीप :** संस्था में शुल्क नगद जमा नहीं किया जाना है । शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में चालान के माध्यम से, डी.डी., चेक अथवा किसी अन्य बैंकिंग इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से ही जमा किये जायें।

**2.13 ट्यूशन फ्री वेवर योजना- Tution Fee Waiver (TFW) Scheme**

यह योजना इन पाठ्यक्रमों के लिये लागू नहीं है ।

**2.14 रैगिंग**

**2.14.1 परिभाषा:-** रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

**2.14.2 रैगिंग का प्रतिशोध :-** किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

**2.14.3 दण्ड :-** यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिशोध के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा.

**2.14.4 अपराधों का विचारण :-**

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

**2.14.5 छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :-**

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

**2.14.6 रैगिंग के संबंध में टोल फ्री नंबर 1800-233-9188 पर शिकायत की जा सकती है**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(अमृतलाल लिखार)

अवर सचिव

छ.ग. शासन

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

**तालिका-1अ**

विभिन्न संस्थानों में एम.ई./एम.टेक.पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

<b>Intake for M.E/M.Tech 2015-16</b>				
<b>S.N.</b>	<b>Name of Institutions &amp; Branch</b>	<b>M.E./M.TECH</b>	<b>Specialisation</b>	<b>Intake</b>
1	Govt. Engg. College Jagadapur	M.E. (Civil)	Structural Engg.	18
		M.E. (Mech)	Thermal Engg.	18
2	Christian College of Engg & Technology, Bhilai	M. Tech. (Mech.)	CAD/CAM Robotics	12
		M. Tech. (ET&T)	Nano Technology	12
3	Raipur Institute of Technology, Chhatona, Mandir Hasaud, Raipur	M.E. ( Chemical )	Environment Engg.	11
		M.Tech. (CS)	Computer Science and Engg.	11
		M.E. (Mech)	Thermal Engg.	11
		M.E. (Electrical)	Power Electronics	11
		M.E. (Mech.)	Energy Management	11
		M.E. (Mech.)	Machine design	11
4	Shri Shankaracharya Technical Campus, (SSGIs) Bhilai	M.Tech. (CS)	Computer Tech & Application	32
		M.Tech.(ET&T)	Comunication Engg.	32
		M.E. ( Mech.)	Machine Design	16
		M.E. ( Electrical)	Power ET. & Power System Engg.	16
		M.Tech. (ET&T)	VLSI Design	16
		M.E. (Mech)	Thermal Engg.	16
		M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	21
		M.E. (IT)	Information Technology	16
		M.E. (Civil)	Structural Engg.	16
5	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Kolihapuri, Durg	M.Tech.(ET&T)	Electronic & Telecommunication Engg.	18
		M.Tech. (CSE)	Computer Science and Engg.	18
		M.E. (Electrical)	Electrical Device and Power System	18
		M.Tech. (Mech.)	Industrial Engg. and Management	18
6	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur	M.Tech.(ET&T)	Digital Electronics	18
		M.E. (Mech)	Production Engg.	18
7	Disha Institute of Management & Technology, Raipur	M.E. (Electrical)	Electrical Device and Power System	24
		M.Tech. (ET&T)	VLSI and Embedded System Design	18
		M.Tech. (CSE)	Information	24

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

			Security	
8	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg	M.E. (Mech)	Production Engg.	20
		M.E. (Civil)	Structural Engg.	18
		M.Tech. (ET&T)	Instrumentation. & Control	20
		M.E. (CS)	Computer network	18
		M.E. (CS)	E Security	18
		M.E. (Mech.)	Ind. Drives & control	18
9	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	M.Tech. (CS)	Computer Science and Engg.	19
		M.Tech.(ET&T)	Digital Electronics	14
		M.E. (Electrical)	Power Electronic & Engg	14
		M.Tech. (CS)	Software Engg.	14
		M. Tech. (CS)	Computer Technology- Electrical Engg	19
		M.E.(Civil)	Civil Engg.	14
		M.E. (Mech)	Production Engg.	14
10	School of Engg & IT MATS University Arang, Raipur	M.E. (CS )	Computer Science and Engg.	18
		M.E. (Mech.)	Turbo Machinery	18
		M.E. (Electrical)	Power Electronics	18
11	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Bilaspur	M.E. (CS)	Computer Science and Engg.	24
		M.E. (Electrical)	Power System	24
		M.E. (Mech)	Production Engg.	24
		M.E. (I T)	Software Engg.	24
		M.E. (ET&T)	VLSI Design	24
		M.E. (ET&T)	Digital Communication	18
12	Bharti College of Engg, & Tech., Durg	M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	24
13	Central College of Engineering & Management, Kabir Nagar Raipur	M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	14
		M.E. (ET&T)	Digital Elex	14
14	GD Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	M.E.(E&TE)	Electronics & Telecommunication Engg.	19
		M.E. (Mech.)	Production Engg.	19
		M.E. (CS)	Software Engg.	19
15	MM College of Technology, Raipur	M.E. (Civil)	Civil Engg.	18
		M.E. (Civil)	Structural Engg.	18
16	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai	M.E.	Power System & Control	19
		M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	19
		M.E. (Civil)	Structural Engg.	19
17	Shri Shankaracharya Institute of	M.E. (Mech.)	Production Engg.	20

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

	Engineering & Technology, Durg	M.E.(E&TE)	Electronics & Telecommunication Engg.	20
18	Rungta Engineering College ,Raipur	M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	19
19	Rungta College of Engineering & Technology, Raipur	M.E. (CSE)	Computer Science and Engg.	18
		M.E. (Mech)	Thermal Engg.	18
20	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mangt & Tech, Raipur	M.E. (Mech.)	Production Engg.	16
		M.E. (Civil)	Structural Engg.	16
21	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai	M.E. (Mech)	Thermal Engg.	16
		M.Tech. (ET&T)	Instrumentation. & Control	16
		M.E. (CS)	E Security	16
22	Shri Sankaracharya Institute of Technology & Management , Bhilai	M.E. (ET&T)	Digital Elex	16
		M.E. (Mech.)	Production Engg.	16
		M.E. (Electrical)	Power System & Control	16
		M.E. (CS)	Cyber Forensic Information	16
23	Bhilai Institute of Technology, Raipur	M.E. (Mech.)	Industrial Safety	18

टीप:- उपरोक्त कुल सीटों में से विषयवार/ब्रांचवार एवं संस्थावार प्रति 18/20 सीटों पर 5 सीटें तथा 24 सीटों पर 6 सीटें एवं 36 सीटों पर 9 सीटें प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी । तथापि आरक्षित सीटें नहीं भरने पर इसे सामान्य अभ्यर्थी से GATE के माध्यम से भरा जा सकेगा। उसी प्रकार यदि सामान्य अभ्यर्थी से GATE के माध्यम से सीट नहीं भरती है , तो उसे प्रायोजित अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। प्रायोजित अभ्यर्थियों के प्रवेश को भी आनलाइन अपडेट करना अनिवार्य है।

**तालिका- 2 अ**

**विभिन्न संस्थानों में एम.फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण**

S.N.	Name of M.Pharmacy Institutions	Intake
1	Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, Raipur	
	Pharmacology	18
	Pharmaceutics	18
2	Rungta College of Pharmaceutical Science & Research, Bhilai	
	Pharmaceutics	16
3	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Distt - Durg	
	Pharmaceutical Chemistry	18
	Pharmaceutics	10
	Pharmacognocny	10
	Quality Assurance	18
4	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	
	Pharmacognocny	9
	<b>Total</b>	<b>117</b>

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

**तालिका- 3 अ**

**विभिन्न संस्थानों में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण**

<b>Intake for Management Institution for 2015-16</b>		
<b>S.No.</b>	<b>Name of MBA Institution</b>	<b>Intake</b>
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai-House, Bhilai, Durg	120
2	Central College of Engineering & Mngt, Kabir Nagar, Raipur	48
4	Choukse Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur	60
5	Columbia Institute of Engg. & Technology, Vill - Tekari, Raipur	45
6	Disha Institute of Management and Technology, Nardaha, Raipur	120
7	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Kota, Bilaspur	60
8	GD Rungta College of Engineering & Technology, Kurud, Bhilai	48
9	Kruti Institute of Tech. & Engineering Near Gyan Ganaga School, Raipur	30
10	Raipur Institute of Technology, Chhatona, Mandir Hasaud, Raipur	120
11	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, Kurud, Bhilai	48
12	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology, Pacheda, Raipur	54
13	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mant. & Technology, Raipur	54
14	Shri Sankaracharya Institute of Tech. & Management, Junwani, Bhilai	54
15	Shri Shankaracharya Engineering College, Junwani, Bhilai	54
16	Sri Shankaracharya Group of Institutions, Faculty of Mangt. Studies, Bhilai	120
17	Mats school of mangt studies and research, MATS Univresity, Arang	120
		<b>1155</b>

**टिप्पणी :-**

सीटों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित है तथा उसमें आरक्षण भी तत्समय लागू नियमों के अनुसार होंगे ।



प्रमाणपत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग ..... जिला ..... छत्तीसगढ़  
पुस्तक क्रमांक .....  
प्रमाण पत्र क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....पिता/पति का नाम .....  
निवासी ग्राम/नगर .....पटवारी हल्का नं. .... वि.खं. ....  
तहसील .....जिला ..... संभाग ..... जाति/जनजाति  
का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित  
जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित  
जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....  
पर अंकित है अतः श्री/सुश्री ..... पिता/पति का नाम .....  
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ..... के परिवार की कुल वार्षिक आय  
रुपये ..... है।

दिनांक- .....

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा  
अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी  
कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार  
(द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया  
जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी  
किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग  
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र  
(नियम 2.5.1 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग ..... जिला ..... छत्तीसगढ़  
पुस्तक क्रमांक ..... प्रमाण पत्र क्रमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....आत्मज  
श्री ..... निवासी ग्राम .....जिला  
संभाग ..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो .....जाति के हैं,  
जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना  
क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।  
श्री ..... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला .....  
संभाग ..... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .....  
को प्रवजन कर चुका है।  
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग)  
व्यक्तियों/वर्गों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक  
360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.)दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन  
विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम  
(3)में किया गया है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .....के परिवार की कुल  
वार्षिक आय रुपये ..... है।  
दिनांक .....

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

प्रारूप-3

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र  
(नियम 2.6.2)

क्रमांक .....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....आत्मज/आत्मजा/पत्नी .....  
निवासी.....

तहसील ..... व जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय  
निवासी है, क्योंकि वह

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर  
कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।  
**परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त** निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी  
भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात :-

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

- (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा
- (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।
- (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

**2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-**

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।
- (ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।
- (घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

**3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।**

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....  
पदनाम एवं सील

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र  
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.ई./एम. फार्मसी/एमवीए प्रथम वर्ष में प्रवेश का / की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....  
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,

(क) जो छत्तीसगढ़ शासन के .....विभाग में.....  
पद पर..... तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

(ख) जो छत्तीसगढ़ शासन के .....विभाग में .....पद पर पदस्थ  
छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर.....तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के  
हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

प्रारूप-5

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों / अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ  
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र  
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.ई.  
/एम.फार्मैसी/एमबीए प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री.....  
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो.....तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस  
कार्यालय.....स्थान.....  
जिला.....में.....पद पर पदस्थ हैं जो भारत  
सरकार के.....विभाग.....

अथवा

भारत सरकार के .....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के .....अर्धशासकीय निकाय का/की कार्मिक है ।

स्थान.....

दिनोंक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)  
कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष  
के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....जो एम.ई./एम.फार्मसी/

एमबीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री .....

का/की/संतान है, जो..... योजना के तहत छत्तीसगढ़ में

व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान .....

दिनांक .....

.....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

प्रारूप-7

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र  
(नियम 2.5.4)

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.ई./एम.फार्मेसी/एमबीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान.....

दिनोंक.....

.....  
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप-8

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र  
(नियम 2.5.4.2)

संदर्भ क्रमोंक.....

दिनोंक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.ई./एम.फार्मेसी/एमबीए प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरुद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता/श्री/सुश्री.....छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनोंक.....से दिनोंक..... तक .....(स्थान का नाम) जिला.....में रही है ।

स्थान.....

दिनोंक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)  
शासन में विभागाध्यक्ष  
अधिकारी के हस्ताक्षर, पद एवं विभाग का नाम



**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

**PROFORMA FOR BANK CHALLAN FOR M.E/M.TECH COUNSELLING**

<b><u>CHALLAN FOR M.E/M.TECH COUNSELLING</u></b>	<b><u>CHALLAN FOR M.E/M.TECH COUNSELLING</u></b>	<b><u>CHALLAN FOR M.E/M.TECH COUNSELLING</u></b>
<b><u>CANDIDATE COPY</u></b>	<b><u>DTE COPY</u></b>	<b><u>BANK COPY</u></b>
<b>Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur</b>	<b>Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur</b>	<b>Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur</b>
SBI Power Jyoti A/c No 31077008342 Date .....	SBI Power Jyoti A/c No 31077008342 Date .....	SBI Power Jyoti A/c No 31077008342 Date .....
Registration ID/Ref. No. .... (GATE-2015 Roll No)	Registration ID/Ref. No. .... (GATE-2015 Roll No)	Registration ID/Ref. No. .... (GATE-2015 Roll No)
Name of Applicant .....	Name of Applicant .....	Name of Applicant .....
Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only)	Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only)	Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only)
Bank Charges if any to be deposited separately	Bank Charges if any to be deposited separately	Bank Charges if any to be deposited separately
Signature of Depositor .....	Signature of Depositor .....	Signature of Depositor .....
SBI Branch Name .....	SBI Branch Name .....	SBI Branch Name .....
Amount deposited .....	Amount deposited .....	Amount deposited .....
Bank's Seal & Authorized Signature	Bank's Seal & Authorized Signature	Bank's Seal & Authorized Signature
Instruction for Candidate : कृपया Registration ID/Ref. No. के सामने अपना Entrance Test( GATE) - 2015 का Roll No. अंकित करें ।		
Instruction for Bank : Kindly enter Entrance Test (GATE) - 2015 Roll No. against Registration ID/Ref. No. as given by the candidate.		

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

**PROFORMA FOR BANK CHALLAN FOR M.PHARMACY COUNSELLING**

<u>CHALLAN FOR M.PHARMACY COUNSELLING</u>	<u>CHALLAN FOR M.PHARMACY COUNSELLING</u>	<u>CHALLAN FOR M.PHARMACY COUNSELLING</u>
<u>CANDIDATE COPY</u>	<u>DTE COPY</u>	<u>BANK COPY</u>
<b>Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur</b>	<b>Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur</b>	<b>Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur</b>
SBI Power Jyoti A/c No 31077006832	SBI Power Jyoti A/c No 31077006832	SBI Power Jyoti A/c No 31077006832
Date .....	Date .....	Date .....
Registration ID/Ref. No. .... (GPAT-2015 Roll No)	Registration ID/Ref. No. .... (GPAT-2015 Roll No)	Registration ID/Ref. No. .... (GPAT-2015 Roll No)
Name of Applicant ..... .....	Name of Applicant .....	Name of Applicant .....
Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only) Bank Charges if any to be deposited separately	Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only) Bank Charges if any to be deposited separately	Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only) Bank Charges if any to be deposited separately
Signature of Depositor .....	Signature of Depositor .....	Signature of Depositor .....
SBI Branch Name .....	SBI Branch Name .....	SBI Branch Name .....
Amount deposited .....	Amount deposited .....	Amount deposited .....
Bank's Seal & Authorized Signature	Bank's Seal & Authorized Signature	Bank's Seal & Authorized Signature
Instruction for Candidate : कृपया Registration ID/Ref. No. के सामने अपना Entrance Test ( GPAT) - 2015 का Roll No. अंकित करें ।		
Instruction for Bank : Kindly enter Entrance Test (GPAT) - 2015 Roll No. against Registration ID/Ref. No. as given by the candidate.		

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

**PROFORMA FOR BANK CHALLAN FOR MBA COUNSELLING**

<b><u>CHALLAN FOR MBA COUNSELLING</u></b>	<b><u>CHALLAN FOR MBA COUNSELLING</u></b>	<b><u>CHALLAN FOR MBA COUNSELLING</u></b>
<b><u>CANDIDATE COPY</u></b>	<b><u>DTE COPY</u></b>	<b><u>BANK COPY</u></b>
<b>Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur</b>	<b>Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur</b>	<b>Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur</b>
SBI Power Jyoti A/c No 31077008342 Date ..... Name of Entrance Test.....	SBI Power Jyoti A/c No 31077008342 Date ..... Name of Entrance Test.....	SBI Power Jyoti A/c No 31077008342 Date ..... Name of Entrance Test.....
Registration ID/Ref. No. .... (Entrance Test-2015 Roll No)	Registration ID/Ref. No. .... (Entrance Test-2015 Roll No)	Registration ID/Ref. No. .... (Entrance Test-2015 Roll No)
Name of Applicant .....	Name of Applicant .....	Name of Applicant .....
.....	.....	.....
Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only)	Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only)	Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 500/- (Rs. Five Hundred Only)
Bank Charges if any to be deposited separately	Bank Charges if any to be deposited separately	Bank Charges if any to be deposited separately
Signature of Depositor .....	Signature of Depositor .....	Signature of Depositor .....
SBI Branch Name .....	SBI Branch Name .....	SBI Branch Name .....
Amount deposited .....	Amount deposited .....	Amount deposited .....
Bank's Seal & Authorized Signature	Bank's Seal & Authorized Signature	Bank's Seal & Authorized Signature
<p>Instruction for Candidate : कृपया Registration ID/Ref. No. के सामने अपना Management Entrance Test( such as CMAT,MAT,CAT,ATMA,XAT,JMET ) - 2015 का Roll No. अंकित करें ।</p>		
<p>Instruction for Bank : Kindly enter Management Entrance Test ( such as CMAT,MAT,CAT,ATMA,XAT,JMET ) - 2015 Roll No. against Registration ID/Ref. No. as given by the candidate.</p>		

## Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015

Important Information of Engineering Colleges running ME/M.Tech courses								
S. N.	College Name	Code	Estb.Yr	Phone No.	Fax	E-mail	Website	Contact No.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House, Durg , [BIT,DURG ]	EN106	1986	07882323997	2210163	bit@bitdurg.org	<a href="http://www.bitdurg.org">www.bitdurg.org</a>	942555770
2	Chhatrapati Shivaji Institute of Technology, Shivaji nagar Durg , [CSIT,DURG ]	EN109	1999	07882320884	2334808	registrar@csitdurg.in	<a href="http://www.csitdurg.in">www.csitdurg.in</a>	9826937473
3	Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, Bilaspur,(CHOUKSEY,BSP)	EN112	2001	07752302100	302101	info@cecbilaspur.ac.in	<a href="http://www.cecbilaspur.ac.in">www.cecbilaspur.ac.in</a>	9685045008
4	Christian College of Engineering & Technology, Kailash Nagar Bhilai, (MPC CET,BHILAI)	EN108	1998	07882286662	2285266	mpccet@mpccet.ac.in	<a href="http://www.mpcet.ac.in">www.mpcet.ac.in</a>	9981991417
5	Disha Institute of Management & Technology, Nardaha ,Raipur ,[DIMAT,R]	EN114	2005	0771423100	4200110	info@desindia.in	<a href="http://www.desindia.in">www.desindia.in</a>	9755590000
6	Govt. Engineering College,Dharampura, Jagdalpur	EN102	1983	07782229439	229401	principal@gecjd.ac.in	<a href="http://www.gecjd.ac.in">www.gecjd.ac.in</a>	9425891723
7	Raipur Institute of Technology, Chhatona Raipur , [RIT,R ]	EN107	1995	07713208842	2537634	contactus@rit.edu.in	<a href="http://www.rit.edu.in">www.rit.edu.in</a>	9329773012
8	Rungta College of Engineering & Technology, Kohaka Road Kurud ,Bhilai ,[RCET,BHILAI]	EN110	1999	07886666666	2286480	rcet@rungta.ac.in	<a href="http://www.rungta.ac.in">www.rungta.ac.in</a>	9229155550
9	Shri Shankaracharya Group of Institutions (Faculty of Engineering and Technology), Junwani, Bhilai , [SSGI ,BHILAI,] (F.S)]	EN111	1999	07882291605	2291606	sscet@yahoo.co.in	<a href="http://www.sscet.ac.in">www.sscet.ac.in</a>	9826128489

### Important Informations of Colleges running M.Pharmacy courses

S.no.	Institute Name	Code	Stb.Yr	Phone no.	Fax	E-mail	Website
1	Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, Raipur	PH104	2005	07716456853	266302	cipraipur@gmail.com	<a href="http://www.columbiaiop.ac.in">www.columbiaiop.ac.in</a>
2	Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar S University, Raipur	PH101	2001	07712263773	2263773	shailendrasaraf@hotmail.com	<a href="http://www.prsu.ac.in">www.prsu.ac.in</a>
3	Rungta College of Pharmaceiutical Science & Reasearch, Kohaka Road Kurud , Bhilai	PH106	2006	07886666666	2286480	info@rungta.ac.in	<a href="http://www.rungta.ac.in">www.rungta.ac.in</a>
4	School of Pharmacy, Chouksey Engineering College, Bilaspur	PH102	2004	07752302100	302101	info@cecbilaspur.ac.in	<a href="http://www.cecbilaspur.ac.in">www.cecbilaspur.ac.in</a>
5	Shree Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Kumhari, Durg	PH103	2004	09203910085	247022	sripkumhari@gmail.com	<a href="http://www.sri.ac.in">www.sri.ac.in</a>
6	Shri Shankaracharya Group of Institutions, Junwani, Bhilai	PH108	2007	07882291608	2291606	ssipsbhilai@gmail.com	<a href="http://www.ssips.ac.in">www.ssips.ac.in</a>

**Admission Rule for M.E-/M.Ph/MBA – 2015**

Important Informations of Colleges running MBA Course							
S.N	InstituteName	Code	In.Phone	Code	Fax	InstituteEmailID	MobileNo
1	Bhilai Institute of Technology, Durg						
2	Central College of Engineering & Management, Raipur						
3	Chhattisgarh Institute of Management Studies, Rajnandgaon						
4	Chouksey Engineering College, Bilaspur	7752	302100	7752	302101	info@cecbilaspur.ac.in	9685045010
5	Disha Institute of Management and Technology, Raipur	771	4231000	771	4200110	<a href="mailto:info@desindia.in">info@desindia.in</a>	
6	Columbia Institute of Engg. & Technology, Raipur	771	6461098	771	4004681	<a href="mailto:info@cietraipur.ac.in">info@cietraipur.ac.in</a>	9926692600
7	Dr. C.V. Raman Institute of Science & Technology, Bilaspur						
8	GD Rungta College of Engineering & Technology, Durg	788	6459564	788	2286481	info@rungtacolleges.com	9229155552
9	Kruti Institute of Engg. & Technology, Raipur						
10	Raipur Institute of Technology, Raipur	771	3208842	771	2537634	<a href="mailto:registrar@rit.edu.in">registrar@rit.edu.in</a>	9329773001
11	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka-Kurudh Road, Bhilai	788	6666666	788	2286480	<a href="mailto:rcet@rungta.ac.in">rcet@rungta.ac.in</a>	9229155552
12	Shri Rawatpura Institute of Engg. & Technology, Paceda, New Raipur						
13	Shri Sankaracharya Institute of Professional Mant. & Technology, Raipur	771	2120666	771	2120777	<a href="mailto:info@ssipmt.com">info@ssipmt.com</a>	9753403982
14	Shri Sankaracharya Institute of Tech. & Management, Bhilai	788	2291621	788	2291622	<a href="mailto:info.mba@sitm.ac.in">info.mba@sitm.ac.in</a>	9425555191
15	Shri Shankaracharya Engineering College, Bhilai	788	2291605	788	2291601	ssecbhilai@gmail.com	9993373306
16	Sri Shankaracharya Group of Institutions, Faculty of Mangt. Studies, Bhilai	788	2291605	788	2291606	<a href="mailto:ssgi@ssgi.edu.in">ssgi@ssgi.edu.in</a>	
17	Mats school of mangt studies and research, Raipur						